

## शैक्षणिक सत्र सारिणी 2018-19

### प्रथम भाग

#### प्रवेश कार्यक्रम

##### (अ) स्नातक पार्ट प्रथम

क्र.स.	विवरण	तिथि/अवधि
1	ऑन लाइन आवेदन-पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि	<b>बुधवार 06.06.18</b>
2	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि, प्रारम्भ होने की तिथि से	15 दिवस
3	समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	<b>मंगलवार 31.07.18</b>
4	प्रथम अन्तरिम प्रवेश सूची व <b>आवश्यकतानुसार</b> प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन। सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन व शुल्क जमा करवाना। प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन आवश्यकतानुसार द्वितीय अन्तरिम प्रवेश सूची/प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, आगे की प्रक्रियायें	ऑनलाईन प्रक्रिया की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये आयुक्तालय स्तर पर तिथियाँ जारी की जा सकेंगी।
5	संकाय/विषय परिवर्तन की अंतिम तिथि	अंतिम प्रवेश सूची से 15 दिवस में
6	महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ	<b>सोमवार 02.07.18</b>

स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश नीति के बिन्दु 5.9 के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

##### (ब) स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध)

क्र.स.	विवरण	तिथि/अवधि
1	ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	<b>बुधवार 20.6.18</b> अथवा राजस्थान के प्रमुख विश्वविद्यालयों के परीक्षा परीणाम घोषित होने पर आयुक्तालय स्तर पर निर्धारित तिथि से
2	आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	(अ) <b>शुक्रवार 29.06.18</b> तक या (ब) सम्बद्धक विश्वविद्यालय की अर्हकारी (संबंधित संकाय) परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद तक (जो भी बाद में हो)
3	प्रथम अन्तरिम प्रवेश सूची व <b>आवश्यकतानुसार</b> प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन। सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन व शुल्क जमा करवाना। प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन आवश्यकतानुसार द्वितीय अन्तरिम प्रवेश सूची/प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, आगे की प्रक्रियायें-	ऑनलाईन प्रक्रिया की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये आयुक्तालय स्तर पर तिथियाँ जारी की जा सकेंगी।
4	शिक्षण कार्य प्रारम्भ	(अ) <b>सोमवार 02.07.18</b> या (ब) प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची के प्रकाशन के अगले दिन से।

##### (स) एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया

क्र.स.	विवरण	वार एवं तिथि
1	स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध/एक्स स्टूडेन्ड द्वारा शुल्क जमा करवाने की अन्तिम तिथि*	<b>मंगलवार 31.07.18</b>

\*पुनर्मुल्यांकन से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्रवेश की अन्तिम तिथि संबंधित विश्वविद्यालय नियमानुसार होगी।

## द्वितीय भाग

### सत्र की गतिविधियां एवं अवकाश

क्र.सं.	विवरण	वार एवं तिथि
1	शैक्षणिक सत्र आरम्भ, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन	सोमवार 02.07.18
2	सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में अध्यापन कार्य प्रारम्भ	
	अ समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) कक्षाएँ	सोमवार 02.07.18
	ब स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं विधि	प्रवेश कार्यक्रम के बिन्दु 4 अ/ब के अनुसार
3	छात्रसंघ चुनाव	अलग से आदेश जारी किये जायेंगे
4	छात्रसंघ का उद्घाटन	छात्रसंघ चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से एक माह तक
5	शैक्षणिक कार्यभार भेजने की अन्तिम तिथि	शुक्रवार 31.08.18
6	नियमित छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरना	विश्वविद्यालय के अनुसार
7	पूरक परीक्षाओं की समाप्ति	विश्वविद्यालय के अनुसार
8	प्रथम कक्षा टेस्ट	सितम्बर माह में
9	दशहरा अवकाश	बुधवार 17.10.18 से शुक्रवार 19.10.18 तक
10	विश्वविद्यालय नामांकन	विश्वविद्यालय के अनुसार
11	स्वयंपाठी छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरना	विश्वविद्यालय के अनुसार
12	दीपावली अवकाश	गुरुवार 01.11.2018 से शुक्रवार 09.11.18 तक
13	दूसरा कक्षा टेस्ट	दिसम्बर माह में
14	शीतकालीन अवकाश	मंगलवार 25.12.18 से सोमवार 31.12.18 तक
15	शैक्षणिक भ्रमण, अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियां तथा सांस्कृतिक सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह	गुरुवार 31.01.2019 तक
16	एन.एस.एस./एन.सी.सी. एवं रोवर स्काउट गाइड के शिविरों का आयोजन एवं अन्य गतिविधियां	वर्ष पर्यन्त
17	ग्री परीक्षा	शुक्रवार 18.1.19 से
18	वार्षिक परीक्षाओं का प्रारम्भ	
(क)	स्नातक नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों हेतु	विश्वविद्यालय के अनुसार
(ख)	स्नातकोत्तर नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों हेतु	विश्वविद्यालय के अनुसार
19	सत्र का समापन	रविवार 30.06.19
20	परीक्षा परिणामों की घोषणा	विश्वविद्यालय के अनुसार
21	नवीन सत्रारम्भ	सोमवार 01.07.19

#### टिप्पणियां:-

- राज्य के किसी महाविद्यालय द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी. गतिविधियों को छोड़कर कोई भी सह-शैक्षणिक अथवा शिक्षण गतिविधियां दिनांक 31.01.2019 के पश्चात् आयोजित नहीं की जायें।
- उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक सत्र सारणी में महाविद्यालय स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाये।
- समस्त प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 28.02.19 से पूर्व अथवा विश्वविद्यालय समय सारणी के अनुसार आयोजित कर ली जाएं। प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान कक्षाएं यथावत चलेंगी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 180 शैक्षणिक दिवस होने आवश्यक हैं।

5. कृषि संकाय के लिए महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक सत्र लागू होगा तथा सेमेस्टर योजना के अतिरिक्त वार्षिक परीक्षा योजना के लिए निदेशालय द्वारा जारी शैक्षणिक सत्र सारणी ही लागू रहेगी।
6. महाविद्यालय उपरोक्त शैक्षणिक सत्र सारणी के कार्यक्रमों की समयबद्धता को अपने स्तर पर संशोधित नहीं करे।

**सांस्कृतिक गतिविधियों का कलेण्डर सत्र 2018-19**

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	महाविद्यालय स्तर पर (अक्टूबर/ नवम्बर माह में आयोजन)	राज्य स्तर पर (दिसम्बर माह में आयोजन)
1.	एकल गीत (क) शास्त्रीय  (ख) सुगम	समस्त राजकीय महाविद्यालयों में बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की गतिविधियां अक्टूबर/नवम्बर माह में आयोजित कर राज्य स्तर के लिए प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगी को चयनित किया जाये।	1,2 एकल एवं समूह गीत प्रतियोगिता <b>राजकीय कन्या महाविद्यालय, उदयपुर</b> में आयोजन
2.	समूह गीत		3. वाद्य संगीत प्रतियोगिता <b>राजस्थान संगीत, संस्थान जयपुर</b> में आयोजन
3.	वाद्य संगीत		
4.	एकल नृत्य (क) शास्त्रीय (ख) लोक नृत्य	समस्त राजकीय महाविद्यालयों में बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की गतिविधियां अक्टूबर/नवम्बर माह में आयोजित कर राज्य स्तर के लिए प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगी को चयनित किया जाये।	4. एकल नृत्य प्रतियोगिता <b>राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर</b> में आयोजन
5.	समूह नृत्य		5. समूह नृत्य प्रतियोगिता <b>राजकीय महाविद्यालय, बूंदी</b> में आयोजन

1. आयोज्य संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतियोगिता के संबंध में राजकीय महाविद्यालयों को भागीदारी हेतु आमंत्रित किया जायेगा। टीम प्रतिस्पर्द्धा में प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या 03 एवं अधिकतम 05 होगी तथा इस संख्या से कम प्रतिभागी होने पर उस महाविद्यालय की भागीदारी स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. आयोजन संस्था 200/- रुपये प्रति प्रतियोगिता रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लेगी।
3. यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय छात्रकोष से किये जायेंगे।
4. अतिरिक्त वित्तीय सहायता एम.एल.ए./एम.पी./स्थानीय प्रतिनिधि से ली जा सकती है।
5. इन गतिविधियों को संचालित करने में जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उनके व्यय की पूर्ति महाविद्यालय में विकास समिति कोष में प्रस्ताव पारित कर उनकी पूर्वानुमति पश्चात् की जा सकेगी।